डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2022/1709I   दिनांकः 20 अगस्त, 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।

विषयः-''मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम'' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के फाईल संख्या-16-1099/50/2022-1-19933 5/2022 दिनांक 05.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के पत्र दिनांक 05.08.2022 के साथ संलग्न राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) के पत्र संख्या(1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32 दिनांक 22.07.2022 एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-194703/202216-3099/81/2022 दिनांक 25.07.2022 की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिये गये है कि ''मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम'' का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं संस्थान स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि उक्त कार्यक्रम का लाभ तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों/शोधार्थियों को मिल सके।

अतः अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त

भवदीय,

18.8.22

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रति कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. समस्त अधिष्ठाता, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रेषक,

कुलदीप बाबू,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर ।
3. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
4. निदेशक, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर।
5. निदेशक, के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर।
6. निदेशक, बी0आई0ई0टी0, झाँसी।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,

आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/मैनपुरी/सोनभद्र/ बाँदा/कन्नौज/बिजनौर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 05 अगस्त, 2022

विषय- "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम के सम्बंध में राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) के पत्र संख्या (1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32 दिनांक 22.07.2022 एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 194703/202216-3099/81/2022 दिनांक 25.07.2022 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि उक्त कार्यक्रम का लाभ तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों/शोधार्थियों को मिल सके।

संलग्नक- यथोक्त।

(ई-मेल से प्रेषित)

भवदीय,

Signed by कुलदीप बाबू
(कुलदीप बाबू)
Date: 05-08-2022 12:59:57
उप सचिव।
Reason: Approved

DR N.A 10/08/22 Reg (AKTU)

AR (E) कृ. आज ही परिपत्र जारी कराएं 10.8.22

6428 10/8/22

2592

HP Verma

4194 10.08.22

संख्या 1592 सोलह-प्रा०-शि०-1-2020

संख्या 2110 प्रमुख सचिव/व्या.शि.का.वि./ प्रा.शि., 2022

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग- 1

(नियोजन विभाग)

संख्या- (1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई ,2022

VS (D)

26.7.22

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय -ज्ञाप

प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्ड में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु शोधार्थियों का चयन किया जायेगा। यह कार्य शोधार्थियों द्वारा उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी सम्पादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा। शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे, साथ ही शोधार्थियों द्वारा योजना से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जायेगा। फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देश नियोजन विभाग की वेबसाइट www.planning.up.nic.in तथा CMIS Portal पर अपलोड किये जायेंगे।

371/VSTE/22
D.S.
26/07/2022

(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय, जिससे प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के इच्छुक प्रतिभाशाली एवं ऊर्जावान युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही संलग्न विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार की जायेगी।

S.O.
26.7.22

संलग्नक-यथोक्त।

(आलोक कुमार)
सचिव

अधि०
27/7/2022

संख्या - (1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं / सभी सम्बंधित को सूचित करने का कष्ट करें।

(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(5) निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।

(6) निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश ।

(8) नियोजन विभाग/ राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

24.01.22

(अमित सिंह बंसल)

विशेष सचिव।

संलग्नक

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकास खण्ड (संलग्नक -1) में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार/ सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जायेगा।

1- फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों/ शोधार्थियों का चयन किया जायेगा।

1. कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं संबद्ध क्षेत्र 2. वन, पर्यावरण और जलवायु (Climate Resilience) 3. शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास 4. ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा	5. पर्यटन एवं संस्कृति 6. डेटासाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई.टी., आई.टी.ई.एस., जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग डेटा गवर्नेंस आदि 7. बैंकिंग, वित्त एवं कर राजस्व 8. लोक नीति एवं गवर्नेंस

आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्र भी विचारणीय हो सकते हैं।

2. पात्रता

कार्यक्रम में चयन हेतु अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत होगी:

1. प्रमुख संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता।
2. हिन्दी (देवनागरी लिपि) भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव (फेलोशिप से सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रों विषयक लेख प्रकाशन/ नीति पत्रों /शोध पत्रों/ मूल्यांकन/

परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा।)

4. आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा Information and Communication Technology अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार-कौशल भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जा सकती है।

5. अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है।

3. आयु सीमा

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. भूमिका एवं उत्तरदायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खण्ड(संलग्नक-1) हेतु शोधार्थियों का चयन किया जायेगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

शोधार्थी द्वारा आकांक्षात्मक विकास खण्ड में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी सम्पादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक ऑकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा, शोधार्थी द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही शोधार्थी द्वारा योजना से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जायेगा।

शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक डाटा को रियल टाइम संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किया जायेगा। उक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा अथवा टैबलेट क्रय किये जाने हेतु उन्हें एकमुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कार्य की रिपोर्टिंग

उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा सम्पादित गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेंगी:

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जायेगा।
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा सचिव, नियोजन विभाग द्वारा की जायेगी।
3. वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. संग्रहित डेटा का संकलन (रिपोर्ट सहित) प्रस्तुत किये जायेंगे।

6. पारिश्रमिक

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में रू. 30,000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु रू. 10,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। साथ ही, विभागीय योजनाओं/ कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय किये जाने के लिए रू. 15,000/- एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी की सम्बद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति, विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तारित फेलोशिप अवधि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8. अवकाश

आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति हैं।

9. चयन की प्रक्रिया: आवेदन पत्रों का परीक्षण

शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु

वरिष्ठ अधिकारियों/ विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जायेगा:

परीक्षण:

1. अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोंपरान्त हटा दिया जायेगा।
2. डुप्लीकेसी नियंत्रण: 01 ईमेल आईडी, फोन नम्बर एवं 01 नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
3. अभ्यर्थियों की पात्रता: केवल स्नातक (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) अथवा स्नातकोत्तर या पीएचडी (पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत) छात्र ही पात्र होंगे।
4. आयु मानदंड: सभी आवेदन जो 40 वर्ष की आयु के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, अस्वीकार कर दिए जायेंगे।
5. आवदेकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) अपलोड नहीं किया गया है, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

10. **आवेदन पत्रों का मूल्यांकन**

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

11. **आब्जेक्टिव स्कोरिंग: 50 अंक**

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की आब्जेक्टिव स्कोरिंग की जायेगी। स्कोरिंग के मानक निम्नवत हैं:

शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव:

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
A	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	25
1	स्नातक	15
2	स्नातकोत्तर	20
3	PhD (पूर्ण/ थीसिस प्रस्तुत)	25
B	अन्य विधिक मानदंड	15
1	प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री	3
2	प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य/ लेख	3

3 4 5	राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान/ मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार संगठनों के साथ स्वयंसेवा कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि	3 3 3
C	प्रासंगिक कार्य अनुभव	10
1 2	06 माह से 02 वर्ष 02 वर्ष से अधिक (PhD डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव नहीं माना जायेगा)	05 10
	योग	50

12. व्यक्तिगत साक्षात्कार: 25 अंक

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण (SOP) का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से स्कोर किया जायेगा।

कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम

फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में सामान्य परिचय (General Orientation) एवं द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबन्धन एकेडमी (उपाम), लखनऊ द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में IIT एवं IIM जैसी विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी आयोजित कराया जायेगा। नियोजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कोर्स की विषयवस्तु हेतु उपाम से समन्वय किया जायेगा।

14. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन/ कार्य करने के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।
2. फेलोशिप कार्यक्रम, कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा/ रोजगार का आश्वासन नहीं देता है।
3. प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।
4. शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में सम्बद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शोधार्थी के चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन किया जाएगा।
6. फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने सम्बद्धता स्थान पर रहना होगा।
7. शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में सम्बद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा।
8. फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. जनपद / विकास खण्ड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है।

15. प्रबंधन

फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। शोधार्थियों के चयन में AKTU, NIUA एवं UPAAM जैसी विशिष्ट संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक-1

100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों (34 जनपदों) की सूची

क्र0सं0	आकांक्षात्मक विकास खण्ड	जनपद
1	भीटी	अम्बेडकरनगर
2	भियांव	
3	टाण्डा	
4	जगदीशपुर	अमेठी
5	जामों	
6	शुकुलबाजार	
7	बांसडीह	बलिया
8	चिलकहर	
9	गरवार	
10	हनुमानगंज	
11	मनियर	
12	पन्दह	
13	रसड़ा	
14	सोहांव	
15	बबेरू	बाँदा
16	बिसण्डा	
17	कमासिन	
18	कबरई	महोबा
19	बहेड़ी	बरेली
20	फतेहगंज	
21	मझगवां	
22	रिच्छा (दमखौदा)	

23	शेरगढ़	
24	पूरनपुर	पीलीभीत
25	हरैया	बस्ती
26	कुदरहा	
27	सल्टौवा गोपालपुर	
28	विक्रमजोत	
29	बघौली	संतकबीरनगर
30	पौली	
31	सांथा	
32	कोतवाली	बिजनौर
33	नजीबाबाद	
34	अम्बियापुर	बदायूँ
35	आसफपुर	
36	कादरचौक	
37	सालारपुर	
38	उसवां	
39	वजीरगंज	
40	देवकली	गाजीपुर
41	मरदाह	
42	रेवतीपुर	
43	सादात	
44	बाराछवार	
45	बिरनो	
46	गौरी बाजार	देवरिया
47	बासगांव	गोरखपुर
48	ब्रह्मपुर	
49	कैम्पियरगंज	

50	विष्णुपुरा	कुशीनगर
51	जालौन	जालौन
52	रामपुरा	
53	मडवारा	ललितपुर
54	अवागढ	एटा
55	जैथरा	
56	सकीट	
57	नवाबगंज	फर्रूखाबाद
58	राजेपुर	
59	मछलीशहर	जौनपुर
60	रामपुर	
61	औराई	संतरविदास नगर
62	कौशाम्बी	कौशाम्बी
63	मंझनपुर	
64	बहरिया	प्रयागराज
65	कोरांव	
66	मण्डा	
67	महाराजगंज	महाराजगंज
68	मिठौरा	
69	नौतनवा	
70	निचलौल	
71	पनियरा	
72	परथावल	
73	बाभनजोत	गोण्डा
74	पन्धरी कृपाल	
75	रुपईडीह	
76	निन्दूरा	बाराबंकी

77	पुरेडलई	
78	हलिया	मिर्जापुर
79	मरिहन (पटेहरा)	
80	नगरसिटी	
81	पहाड़ी	
82	राजगढ़	
83	बांकेगंज	खीरी
84	धौरहरा	
85	ईसानगर	
86	रमियाबेहड़	
87	सण्डीला	हरदोई
88	बिसवां	सीतापुर
89	रजपुरा	संभल
90	संभल	
91	असमोली	
92	बनियाखेड़ा	
93	गुन्नौर	
94	जुवई	
95	पवांसा	
96	सैदनगर	रामपुर
97	गंगीरी	अलीगढ़
98	अमांपुर	कासगज
99	गंजडुण्डवारा	
100	सोरों	

संख्या 1584 सोलह–प्रा०–शि०-1-2020

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

कृपा शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3   लखनऊ   दिनांकः 25/07/2022

विषय:- 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-923/A.C.S./C.M./2022, दिनांक 06.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में 05 जुलाई, 2022 को आकांक्षात्मक विकास खण्डों के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में उल्लिखित "मुख्यमंत्री फेलोशिप" कार्यक्रम का लाभ तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों/शोधार्थियों को पहुंचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त

Signed by कृपा शंकर सिंह
Date: 25-07-2022 17:15:03
Reason: Approved

(कृपा शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु डिग्री सेक्टर के संस्थानों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या 923 /A.C.S./C.M./2022 दिनांक 06 जुलाई, 2022

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 05 जुलाई, 2022 को आकांक्षात्मक विकास खण्डों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश

संख्या 1739/प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि./2022

DS(K)

11.7.22

1. प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खण्डों के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए विशिष्ट प्रयास की कार्ययोजना तैयार की है तथा कुल 34 जनपदों में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चयन हुआ है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना आदि क्षेत्र के तय 75 इन्डिकेटर्स पर इन आकांक्षात्मक विकास खण्डों के समग्र विकास के प्रयास किए जाएं।
2. 01 अप्रैल, 2022 को बेसलाइन मानते हुए चयनित इण्डिकेटर्स पर ब्लॉकवार अद्यतन सूचना वर्तमान माह के अन्त एक एकत्रित कर ली जाए। इसके उपरान्त हर माह की तारीख तक सम्बन्धित जिलों द्वारा अद्यतन प्रगति विवरण फीड किया जाए; जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभागों से भी कराई जाए।
3. आकांक्षात्मक जनपदों की प्रगति को सीएम डैशबोर्ड से लिंक किया जाए।
4. आकांक्षात्मक विकास खण्डों का विकास सरकार की प्राथमिकता है तथा यहां मैनपॉवर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, एडीओ (पंचायत), बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्व कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी आदि सभी पदों पर कर्मी तैनात रहें। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और समर्पित अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की जानी चाहिए।
5. आकांक्षात्मक विकास-खण्डों की सतत मॉनीटरिंग और वास्तविक स्थिति के सटीक आंकलन के लिए "मुख्यमंत्री फेलोशिप" कार्यक्रम शुरू किया जाए। तकनीकी/प्रबन्धन डिग्रीधारी विजनरी युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए युवाओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम किया जाए।
6. आकांक्षात्मक विकास खण्डों में कार्य करने का यह अवसर प्रदेश के युवाओं को विकास के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्रदान करने, युवा नेतृत्व को विकसित करने, लोक प्रशासन के बारे में उनकी समझ को मजबूत करने और उन्हें भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं हेतु तैयार करने में उपयोगी होगा। कार्यक्रम से शोधार्थियों को विकास के

विभिन्न क्षेत्रों को समझने तथा उनमें सहयोग करने का सुअवसर प्राप्त होगा, जो उनके भविष्य निर्माण में भी सहायक होगा।

7. "मुख्यमंत्री फेलोशिप" कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थियों को प्रदेश सरकार के साथ नीति, शासन, प्रबन्धन, क्रियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्राप्त होगा।
8. आकांक्षात्मक विकास खण्डों के लिए सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो विकास खण्डों में होने वाले सभी विकास कार्यों तथा उपलब्ध कराए जा रहे डेटा की शुचिता और वास्तविकता के प्रति जवाबदेह होंगे।

(एस.पी.गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या : 923 /ए.सी.एस./सी.एम./2022
लखनऊ दिनांक : 06 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य/कृषि/पशुधन/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/राजस्व/खाद्य एवं रसद विभाग/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(एस.पी.गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री